न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2022

प्रविष्टि दिनांक 06.04.2022

केदार प्रसाद शर्मा पुत्र सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज.

.........आवेदक

बनाम

1–गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज.

2–भू–आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी, टोंक)

.... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 वाके ग्राम चांदसिंहपुरा

उपस्थिति : (1) श्री आसिफ शकूर खां, अभिभाषक आवेदक

<u>निर्णय</u> दिनांक 25/4/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है विपक्षी संख्या 1 श्री गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक को आराजी खसरा नम्बर साबिक 351 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 352 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम चांदसिंहपुरा का आवंटन दिनांक 01.02.1983 को किया गया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अभिभाषक आवेदक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति का उक्त आवंटन आदेश विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। आवेदक के पिता सत्यनारायण शर्मा व अप्रार्थी सं. 1 के पिता मोहनलाल शर्मा आपस मे सगे भाई थे, उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

भूमियों को आवंटन से पूर्व दोनो भाईयो मे आपस मे प्रेम व सम्बन्ध का विश्वास होने के कारण नौतोड काश्त की थी एवं काफी मेहनत व बराबर आधे–आधे रूपये खर्च करके उक्त भूमियो को काबिल काश्त बनाया था, उक्त दोनो भाईयो मे आपसी प्रेम व विश्वास होने के कारण विपक्षी के आग्रह पर विपक्षी के नाम आवंटन करा दिया था तत्समय यह तय हुआ था कि चूंकि भूमियों पर दोनों का आधे–आधे भाग पर कब्जा है जब भी आवेदक के पिता अथवा आवेदक के कहने पर विपक्षी आधी भूमि उसके नाम लगा देगा। आज भी उक्त भूमियों के आधे उत्तरी भाग पर आवेदक व उसके भाई महावीर शर्मा का कब्जा काश्त है। इस प्रकार आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है तथा सम्पूर्ण भूमि प्रथम दो वर्षो में काश्त नहीं की है, इस कारण विपक्षी का आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी सदभावी काश्तकार नही था, न ही विपक्षी के पास खेती करने के उपकरण हल, बेल, कुली, ट्रेक्टर इत्यादि नहीं थे। वह प्रारम्भ से ही पूजा पाठ करवाने का कार्य करता है इसलिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन आदेश पर पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त आवंटन के बारे में किसी भी प्रकार की उदघोषणा जारी नहीं की गयी है, न ही आवंटन शुदा भूमि के बारे में मौके की रिपोर्ट ली गयी है इस कारण भी आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 1 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील देवली हाल तहसील दूनी को निरस्त किया जाकर उपरोक्त भूमियों के उत्तरी हिस्से के 1/2 हिस्से का नियमन आवेदक के नाम करने के आदेश प्रदान करें।

अभिभाषक आवेदक ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है क्योंकि उक्त अधिनियम में धारा 9 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी आवंटन सम्बंधित सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है जिसका स्पष्ट उल्लेख धारा 13 में दिया है, विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 01/02/1983 को किये गये आवंटन आदेश पर सम्बंधित उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नही है, ना ही आवंटन पात्रता सम्बंधी जांच धारा 10 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी जी के द्वारा की गयी है। आवंटी का भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 (3) के तहत आज दिनांक तक पूरे आवंटित रकबे पर कब्जा नहीं रहा है, जैसा कि मौका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2022 से स्पष्ट है। इस कारण विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करने योग्य है। किसी भी आवंटी का आवंटन आदेश खातेदारी प्राप्त होने के बाद भी खारिज किया जा सकता है। इस हेतु अभिभाषक ने आर.आर.डी. 1998 पेज 589 पैरा सं० 6 दृष्टांत पेश किया। अतः निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 के हक में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 01.02.1983 को निरस्त किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि विपक्षी सं. 1 श्री गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक को आराजी खसरा नम्बर साबिक 351 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 352 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम चांदसिंहपुरा का आवंटन किया गया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि–विधान एवं तथ्यों के विपरीत होना बताया है परन्तु इस बाबत् कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किए है। आवेदक का कथन हैं कि आवंटी काश्तकार नहीं है एवं पूजा पाठ करवाने का कार्य करता है परन्तु इसे सिद्ध करने के लिए भी कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। आवंटन दिनांक 01.02.1983 को किया गया था परन्तु आवेदक ने इस आवंटन के लगभग 40 वर्षों बाद आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण पेश किया जो कि मियाद से बाहर है। प्रकरण पेश करने में हुई देरी के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम भी पेश नहीं किया गया है।

आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। भू–आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी के हक मे खसरा नम्बर साबिक 351 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 352 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम चांदसिंहपुरा का आवंटन दिनांक 01.02.1983 नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र आवेदक अस्वीकार किया जाकर दिनांक 01.02.1983 को विपक्षी गोपाल पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक के हक में आराजी खसरा नम्बर साबिक 351 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा व साबिक खसरा नम्बर 352 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक